दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 10.01.2024

उद्घोषित: 30.01.2024

आप.वि.वा.2630/2021

स्वाति पटेल .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री मनोज पंत, राज्य की ओर से अति.लो.अभि. के साथ उप.नि. लवली प्रियंका, पुलिस थाना कनॉट प्लेस, दिल्ली।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

निर्णय

न्या., स्वर्ण कांता शर्मा

1. याचिकाकर्ता की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('दं.प्र.सं.') की धारा 482 सहपठित धारा 439(2) के तहत वर्तमान आवेदन दायर किया गया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (भा.दं.सं.) की धारा 376/376(2)ट/506/201/120ख के तहत दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी सं. 162/2021

के मामले में प्रत्यर्थी सं. 2 को विद्वान विशेष न्यायाधीश, पी.सी. अधिनियम, सी.बी.आई.-23, राउज एवेन्यू, जिला न्यायालय, नई दिल्ली ('सत्र न्यायालय') द्वारा दिनांक 25.09.2021 को पारित आदेश के तहत दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की गई है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि आक्षेपित आदेश से पता चला है, यह है कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी सं. 2 लोक जनशक्ति पार्टी से लोकसभा का मौजूदा सदस्य है और याचिकाकर्ता/अभियोक्त्री लोक जनशक्ति पार्टी की एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, और दिसंबर, 2019 में इसमें शामिल हुई थी। अभियुक्त और अभियोक्त्री दोनों पक्षकारगण ने एक दूसरे पर जवाबी प्राथमिकी दर्ज कराई है। अभियोक्त्री के खिलाफ अभियुक्त द्वारा दर्ज की गई पहली प्राथमिकी सं. 27/2021, पुलिस थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट में शिकायतकर्ता के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप लगाए गए थे। अभियुक्त द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि फरवरी, 2019 के महीने में, अभियोक्त्री ने एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नई दिल्ली में अभियुक्त से उसके निवास पर मुलाकात की थी और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सहायता की पेशकश की थी। इसके बाद, दोनों ने टेलीफोन नंबरों का आदान-प्रदान किया और साथ-साथ समय बिताना शुरू कर दिया। इसके बाद, 16.06.2020 को, अभियोक्त्री ने जोर देकर कहा था कि वह अभियुक्त से मिलना चाहती है और उसने यह आभास दिलाया

कि वह वास्तव में उसे पसंद करती है। 18.06.2020 को, अभियुक्त गाजियाबाद में अभियोक्त्री के घर गया और वहां, उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे उकसाया था। इसके बाद, एक-दो बार अभियुक्त और अभियोक्त्री ने गाजियाबाद स्थित उसके आवास पर शारीरिक संबंध बनाए। अगस्त, 2020 के महीने में, अभियुक्त को पता चला था कि अभियोक्त्री का पहले से ही किसी अमर के साथ संबंध था। यह तथ्य अभियुक्त के संज्ञान में तब आया था जब उसे अभियोक्त्री के मोबाइल फोन से अमर का फोन आया था। उक्त प्राथमिकी में आगे आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त को अमर के साथ अभियोक्त्री के संबंधों के बारे में पता चलने के बाद, उसने अभियोक्त्री से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और उसे कॉल करने और संदेश भेजने से बचता था। इसके बाद, अभियोक्त्री ने अपने दोस्त अमर के साथ गाजियाबाद में अपने आवास पर अपनी एक मुलाकात के दौरान उसके द्वारा तैयार किए गए वीडियो फुटेज के स्क्रीनशॉट के साथ धमकी भरे संदेश भेजना शुरू कर दी थी। अभियोक्त्री और अमर ने अभियुक्त को धमकी दी थी कि अगर अभियोक्त्री को 1 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया तो वे अभियोक्त्री द्वारा ली गई अश्लील वीडियो और तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देंगे। दोनों ने उसे दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी थी। दबाव और सार्वजनिक रूप से बदनाम होने के डर से अभियुक्त ने अभियोक्त्री को तीन-चार किस्तों में 2 लाख रुपये

नकद दिए थे, हालांकि, अभियोक्त्री की मांग खत्म नहीं हुई। इसलिए, अभियुक्त बाध्य होकर जबरन वसूली के अपराध के लिए अभियोक्त्री और उसके दोस्त अमर के खिलाफ प्राथमिकी सं. 27/2021, पुलिस थाना संसद मार्ग में दर्ज कराया था। शिकायत के साथ अभियुक्त ने व्हाट्सएप चैट की कॉपी और ऑडियो रिकॉर्डिंग का नकल भी मुहैया कराया था। उक्त प्राथमिकी का अभियुक्त, जो वर्तमान प्राथमिकी में अभियोक्त्री है, को उस मामले में अग्रिम जमानत दे दी गई थी। जैसे ही प्राथमिकी दर्ज करने के तीन महीने बाद पता चला कि, अभियोक्त्री ने 31.05.2021 को स्पीड पोस्ट के द्वारा थानाध्यक्ष, पुलिस थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को एक शिकायत भेजी थी और उसके बाद, दिनांक 28.06.2021 को थानाध्यक्ष, पुलिस थाना कनॉट प्लेस, नई दिल्ली को एक शिकायत भेजी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियोक्त्री फरवरी 2020 में अभियुक्त के वेस्टर्न कोर्ट के कार्यालय में उससे मिलने गई थी जहां उसे एक गिलास पानी दिया गया था और पानी पीने के बाद, उसे चक्कर आने लगे थे और वह बेहोश हो गई थी। होश में आने पर, उसने अभियुक्त के कंधे पर अपना सिर पाया और जब उसने अभियुक्त से पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने उसे बताया कि उसे चक्कर आ रहे थे। इसके बाद, मार्च, 2020 के महीने में, वह फिर से अभियुक्त के कार्यालय में गई, जहां उसने अभियोक्त्री को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया था, और जब उसने इस पर आपत्ति जताई, तो अभियुक्त

ने उसे एक वीडियो दिखाया था जिसमें अभियुक्त उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। उक्त वीडियो में, अभियोक्त्री का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था जबकि अभियुक्त का चेहरा छिपा हुआ था। इसके बाद, अभियुक्त ने उससे शादी करने की पेशकश की और उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी मांगों को पूरा नहीं किया, तो वह अभियोक्त्री का अश्लील वीडियो सार्वजनिक कर देगा। यह भी आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया पर अभियोक्त्री का अश्लील वीडियो अपलोड करने की धमकी देकर, आवेदनकर्ता/अभियुक्त ने गाजियाबाद में उसके आवास पर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। ऐसा कहा गया है कि उसे और अधिक धमकाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए रखने के लिए मजबूर करने के लिए, अभियुक्त ने अभियोक्त्री के बैनर और पोस्टर भी हटवा दिए, जिसके खिलाफ अभियोक्त्री ने 08.01.2021 को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष को लिखित रूप से शिकायत की थी। हालाँकि, उक्त शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए, अभियोक्त्री ने फरवरी, 2021 में उक्त पार्टी को छोड़ दी और एक अन्य राजनीतिक दल यानी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गई। यह भी आरोप लगाया गया कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई थी और जांच के दौरान, पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा था और उसके लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिए थे, और उसे पुलिस थाने में कुछ सादे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा गया था। दिनांक

31.05.2021 और 28.06.2021 की शिकायतों के आधार पर, पुलिस थाना कनॉट प्लेस के थानाध्यक्ष ने अभियोक्त्री द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच शुरू की थी, जो 16-17 महीने की देरी से शुरू किए गए थे। जांच के बाद, पुलिस ने निष्कर्ष निकाला था कि अभियोक्त्री द्वारा लगाए गए आरोपों ने विश्वास को प्रेरित नहीं किया और किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया गया था, और अभियोक्त्री की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद, अभियोक्त्री ने 14.07.2021 को दं.प्र.सं. की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन दायर करके विद्वान ए.सी.एम.एम.-1, आर.ए.डी.सी., नई दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था, पुलिस थाना कनॉट प्लेस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगने के बाद, विद्वान ए.सी.एम.एम. ने थानाध्यक्ष, पुलिस थाना कनॉट प्लेस को अभियुक्त/प्रत्यर्थी सं. 2 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, वर्तमान प्राथमिकी अभियुक्त के खिलाफ बलात्कार, आपराधिक धमकी और सबूतों को नष्ट करने के अपराध के लिए दर्ज की गई और जांच की गई।

3. दिनांक 25.09.2021 के आदेश के द्वारा, जिसे इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित किया गया है, अभियुक्त/ प्रत्यर्थी सं. 2 को विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गई।

4. आवेदनकर्ता, अर्थात अभियोक्त्री के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी सं. 2 को एक गंभीर अपराध में विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम

जमानत दी गई थी। यह कहा गया है कि विद्वान सत्र न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि प्रत्यर्थी सं. 2 याचिकाकर्ता को लगातार धमकी दे रहा है और 11.09.2023 को उसकी कार का शीशा तोड़ दिया गया था और कुछ पैसे सहित कुछ दस्तावेज चोरी कर लिए गए थे, और मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई थी। यह बताया गया कि उनकी नई कार को भी मोटरसाइकिल सवारों ने खींचकर एक बड़े पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसका पता नहीं लगाया जा सका। आगे यह प्रस्तुत किया गया है प्रत्यर्थी सं. 2 भी मामले की सुनवाई में देरी कर रहा है। यह भी कहा गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए खुली अदालत में जांच की/प्रतिपरीक्षा की अनुमति दी है। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता है और उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया जाएगा। यह तर्क दिया गया कि सिर्फ इसलिए कि अभियुक्त संसद सदस्य है, पुलिस के साथ-साथ निचली अदालत ने भी कानून का पालन नहीं किया है। आगे यह तर्क दिया गया कि अभियोक्त्री के खिलाफ प्राथमिकी सं. 27/2021 अभियुक्त द्वारा 10.02.2021 को दर्ज की गई थी, केवल उसे चुप कराने के लिए, हालांकि उसे इस मामले में अग्रिम जमानत दे दी गई थी। यह कहा गया है कि अभियुक्त के प्रभाव के कारण, जो एक अत्यधिक प्रभावशाली सांसद है,

अभियुक्त कानून से बच गया है और उसे अग्रिम जमानत दे दी गई है। यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 अभी भी सोशल मीडिया पर सामग्री पोस्ट कर रहा है और खुद को निर्दोष पेश कर रहा है और यह पेश कर रहा है कि पीड़िता एक ब्लैकमेलर, जबरन वसूली करने वाली और हनी ट्रैपर है, और इसलिए, अभियुक्त को दी गई जमानत रद्द की जाए।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस मामले में जमानत मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित एक सुविचारित आदेश द्वारा दी गई थी। यह कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा इस मामले में अभियुक्त/प्रत्यर्थी सं. 2 को झूठा फंसाया गया था, और वर्तमान प्राथमिकी तब दर्ज की गई थी जब प्रत्यर्थी सं. 2 ने पहली बार याचिकाकर्ता के खिलाफ जबरन वसूली के कथित कृत्यों के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद इस मामले में एक समापन रिपोर्ट दायर की थी, हालांकि, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ समन जारी किया था, और उसके बाद, उस समन को ऊपरी अदालत ने भी रद्द कर दिया था। इन परिस्थितियों में, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान आवेदन को खारिज कर दिया जाए।

6. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के लिए अति.लो.अभि. की ओर से संबोधित तर्कों को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

7. जमानत रद्द करने से संबंधित कानून माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक उदाहरणों द्वारा सुस्थापित है, जो उन सिद्धांतों और परिस्थितियों को भी निर्धारित करता है जिनके तहत किसी अभियुक्त को दी गई जमानत रद्द की जा सकती है। ***दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** *(2022) 8 एस.सी.सी. 559* के मामले में जमानत रद्द करने के संबंध में कानून पर माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"... <u>ग. जमानत रद्द करना</u>*
>
> *30. इस न्यायालय ने कई उदाहरणों में दोहराया है कि एक बार दी गई जमानत को इस बात पर विचार किए बिना बुद्धिरहित तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि क्या किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों में अभियुक्त को विचारण के दौरान जमानत की सुविधा का उपयोग उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देने के लिए निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं बनाया है। यह कहते हुए कि, जमानत रद्द करने के मामले में, जमानत को रद्द करने (जो पहले ही दी जा चुकी थी) का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ही ठोस और अपरिहार्य परिस्थितियां आवश्यक हैं। इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने **दौलत राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य** (1995) 1 एस.सी.सी. 349 के मामले में जमानत रद्द करने के लिए जो आधार निर्धारित किए हैं वो इस प्रकार हैं:–*

(i) न्याय प्रशासन की सम्यक अनुक्रम में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करना

(ii) न्याय की सम्यक अनुक्रम से बचना या बचने का प्रयास करना

(iii) अभियुक्त को दी गई छुट का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग करना

(iv) अभियुक्त के फरार होने की संभावना

(v) जमानत के वास्तविक दुरुपयोग की संभावना

(vi) अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को धमकाने की संभावना।

31. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जमानत का रद्द होना आकस्मिक परिस्थितियों की घटना तक ही सीमित नहीं हो सकता है। इस न्यायालय के पास निश्चित रूप से आकस्मिक परिस्थितियों की अनुपस्थिति में भी अभियुक्त की जमानत रद्द करने की अंतर्निहित शक्तियां और विवेकाधिकार हैं। निम्नलिखित उदाहरणात्मक परिस्थितियाँ हैं जहाँ जमानत रद्द की जा सकती है:–

क) जहां जमानत देने वाला न्यायालय अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी करते हुए सारगर्भित प्रकृति की अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखता है और तुच्छ प्रकृति की नहीं।

ख) जहाँ जमानत देने वाली अदालत दुर्व्यवहार की पीड़िता या गवाहों की तुलना में अभियुक्त की प्रभावशाली स्थिति की अनदेखी करती है, विशेष रूप से जब पीड़ित पर पद और शक्ति का प्रथमदृष्टया दुरुपयोग होता है।

ग) जहां जमानत देते समय अभियुक्त के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और आचरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है।

घ) जहाँ असमर्थनीय आधार पर जमानत दी गई हो।

ङ) जहां जमानत देने के आदेश में गंभीर विसंगतियां पाई जाती हैं जिससे न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

च) जहां अभियुक्त के खिलाफ आरोपों की अति गंभीर प्रकृति को देखते हुए पहली बार में जमानत देना उचित नहीं था, जो उसे जमानत के लिए अयोग्य ठहराता है और इस प्रकार इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
छ) जब जमानत देने का आदेश स्पष्ट रूप से दिए गए मामले के तथ्यों में सनकी, मनमौजी और विकृत है।

*32. **नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2014) 16 एस.सी.सी. 508, में अभियुक्त को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध एक अपील में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उन सिद्धांतों पर पूर्व निर्णय की जांच की जो जमानत देने का मार्गदर्शन करते हैं और निम्नानुसार टिप्पणी की:–*

> *"12...यह कानून में सुस्थापित है कि जमानत देने के बाद इसे रद्द करना क्योंकि अभियुक्त ने खुद के साथ गलत व्यवहार किया है या कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में इस तरह के रद्द होने की आवश्यकता है, जमानत देने के आदेश से पूरी तरह से अलग है जो अन्यायपूर्ण, अवैध और विकृत है। यदि किसी मामले में, प्रासंगिक कारक जिन्हें जमानत के लिए आवेदन का निपटान करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए था और जमानत पर ध्यान नहीं दिया गया है या यह अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है, निर्विवाद रूप से वरिष्ठ न्यायालय इस तरह की जमानत देने के आदेश को अपास्त कर सकता है। ऐसा मामला एक अलग श्रेणी से संबंधित है और एक अलग क्षेत्र से है। द्वितीय प्रकृति के मामले का निपटान करते समय, न्यायालय अभियुक्त द्वारा शर्तों के उल्लंघन या बाद में हुई आकस्मिक परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देता है। इसके विपरीत, यह न्यायालय द्वारा पारित आदेश की न्यायसंगतता और दृढ़ता पर प्रकाश डालता है।*

8. ***पी बनाम मध्य प्रदेश राज्य*** *2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 552* के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी निम्नलिखित टिप्पणियों के द्वारा इस बिंदु पर कानून को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

> *"24. जैसा कि उपरोक्त निर्णयों से देखा जा सकता है, एक बार जमानत दिए जाने के बाद उसे रद्द करने के लिए, अदालत को इस बात पर अवश्य विचार करना चाहिए कि क्या कोई आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं या जमानत दिए जाने के बाद अभियुक्त का आचरण यह दर्शाता है कि विचारण के दौरान जमानत की सुविधा का उपयोग करते हुए उसे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देना अब निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो, सामान्य परिस्थितियों में, यह न्यायालय जमानत देने के निचली न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगा, लेकिन यदि ऐसा आदेश अवैध या विकृत पाया जाता है या ऐसी सामग्री पर आधारित होता है जो अप्रासंगिक है, तो ऐसा आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा जांच और हस्तक्षेप के लिए अतिसंवेदनशील होता है ..."*

9. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम सुब्रमण्यम गोपालकृष्णन*** *(2011) 5 एस.सी.सी. 296*, में अभिनिर्धारित किया कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद बुद्धिरहित तरीके से इस बात पर विचार किए बिना रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि क्या किसी आकस्मिक परिस्थितियों में अभियुक्त को विचारण के दौरान जमानत की सुविधा का उपयोग करते हुए अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देने के लिए निष्पक्ष विचारण के लिए अनुकूल नहीं बनाया है। इसी तरह, ***महबूब दाऊद शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य***

(2004) 2 एससीसी 362 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान देना भी प्रासंगिक होगा:

> *"8. ...इसलिए, यह स्पष्ट है कि जब कोई व्यक्ति जिसे जमानत दी गई है, या तो न्यायक्रम में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है या साक्ष्य या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है या गवाहों को धमकी देता है या ऐसी गतिविधियों में लिप्त होता है जो सुचारू जांच या विचारण में बाधा डालती हैं, तो दी गई जमानत रद्द की जा सकती है। जमानत की अस्वीकृति एक आधार पर होती है, लेकिन जमानत को रद्द करना एक कठोर आदेश है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की दी गई स्वतंत्रता को छीन लेता है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।"*

10. वर्तमान मामले में, अभियुक्त/प्रत्यर्थी सं. 2 को संक्षेप में निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत दी गई थी: (i) कि अभियोक्त्री द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने में अनुचित देरी हुई है, (ii) अभियोक्त्री द्वारा वर्तमान प्राथमिकी, अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के खिलाफ बहुत पहले फरवरी, 2021 में, पुलिस थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट दायर कराई गई प्राथमिकी सं. 27/2021, के जवाबी कार्रवाई के रूप में दर्ज कराई गई है। (iii) अभियोक्त्री द्वारा यह स्वीकार की गई कि उसके और अभियुक्त के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे जिसकी नकल और ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत में चलाई गई थी, (iv) अभियुक्त से अभिरक्षा में पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, (v) घटना की तारीख पर अभियोक्त्री की यात्रा के संबंध में वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली के वेस्टर्न रजिस्टर

में किसी भी प्रविष्टि के अभाव में और उसके बाद मार्च, 2020 के महीने में, उसके विशिष्ट दावे के बावजूद कि उसने रजिस्टर में इस संबंध में प्रविष्टि की थी। विद्वान सत्र न्यायालय ने यह भी कहा था कि अभियुक्त का पिछला इतिहास साफ-सुथरा है और जाँ.अधि. ने पुष्टि की थी कि उसके खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित नहीं है। अदालत ने यह भी कहा था कि अभियुक्त के इसी तरह के या किसी अन्य अपराध को दोहराने की बहुत कम संभावना है क्योंकि वह लोकसभा का मौजूदा सदस्य है और वह इसी तरह का या कोई अन्य अपराध करके फिर से निर्वाचित होने के अपने अवसर को खतरे में नहीं डालेगा। विद्वान सत्र न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रविष्टियों आदि के नहीं पाए जाने के संबंध में आदेश में की गई विवेचन और अदालत में चलाई गई ऑडियो रिकॉर्डिंग और नकल से पता चलता है कि वह आवेदनकर्ता को उसकी तस्वीरें और वीडियो प्रसारित करके उसे बदनाम करने की धमकी देने की कोशिश कर रही थी जो उसके पास थे, और वही *प्रथमदृष्टया* स्थापित करता है कि अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाने की संभावना थी, और इस प्रकार, अभियुक्त को अग्रिम जमानत दे दी गई।

11. जमानत रद्द करने के कानून को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय नोट किया कि जहां तक अभियोक्त्री के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का संबंध है कि विद्वान सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को अग्रिम जमानत दी थी क्योंकि वह

संसद सदस्य था, यह न्यायालय नोट किया कि अग्रिम जमानत देने का आदेश विस्तृत और तर्कसंगत आदेश है। भले ही अभियुक्त संसद का मौजूदा सदस्य है, तो पर भी अभियुक्त को जमानत देने का मानदंड या कारण नहीं है। पूर्ववर्ती पैराग्राफ में, इस न्यायालय ने पहले ही अभियुक्त को जमानत देते समय विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों की विवेचन की है। अग्रिम जमानत आदेश एकत्रित और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री यानी ऑडियो रिकॉर्डिंग और उसकी नकल के आधार पर पारित किया गया था, जिसका विवेचन आदेश में समय से पहले अभियोक्त्री के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के संबंध में प्राथमिकी के संबंध में अन्य सामग्री के साथ की गई है। इसलिए, इस न्यायालय की राय में, सत्र न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.09.2021 के आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है।

12. याचिकाकर्ता/अभियोक्त्री द्वारा उठाई गई अन्य आधारों के संबंध में कि अभियुक्त द्वारा उनकी कार पर हमला किया गया था, अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं आई है जो यह दर्शाती हो कि इस तरह के कृत्य प्रत्यर्थी सं. 2 या अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके इशारे पर किए गए थे। यहां शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि अभियुक्त उसके बाद भी सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ अनुचित संदेश और सामग्री पोस्ट कर रहा था, हालांकि, इसकी पुष्टि के लिए अभिलेख पर कुछ भी दर्ज नहीं किया गया है। कहने की जरूरत नहीं है,

अभियुक्त को उन शर्तों का पालन करना होगा जो उस पर आक्षेपित आदेश के माध्यम से लगाई गई हैं।

13. इस मामले में जमानत वर्ष 2021 में एक विस्तृत आदेश द्वारा दिनांक 25.09.2021 के आदेश द्वारा दी गई थी। इस अदालत को बाद में कोई घटना नहीं दिखाई गई है जो अभियुक्त को जमानत देने के आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी देती है। इसे ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अभियुक्त को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने का इच्छुक नहीं है, जिसे केवल मांगने पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

14. हालांकि, अभियोक्त्री को गवाह संरक्षण समिति से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी, अगर उसे कोई धमकी दी जा रही है। संबंधित पुलिस थाना के थानाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी शिकायत की प्राप्ति पर, यदि कानून के अनुसार शिकायतकर्ता को कोई धमकी दी जाती है, तो त्वरित कार्रवाई की जाय।

15. उपरोक्त विवेचन को देखते हुए, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

16. निर्णय को तुरंत वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

न्या., स्वर्ण कांता शर्मा

30 जनवरी, 2024/जेड.पी.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*